MOST IMMEDIATE

F.No.V.26011/2/2017-NI
Government of India
Ministry of AYUSH
(NI Desk)
***

AYUSH Bhawan,
Block 'B', GPO Complex,
INA Colony,
New Delhi -110023.
Dated: 11th August, 2017

To

The Director(I/C),
Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth,
Dhanvantri Bhawan,
New Delhi.

Subject: Publication of Notification in Extraordinary Gazette- Aadhaar enabled Platform regarding use of Aadhaar enabling beneficiaries of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner.

***

Sir,

I am directed to forward herewith copy of Gazette Notification No. S.O. 2424 (E) dated 31.7.2017 (Hindi and English version) on the subject noted above regarding use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies, simplifying the Government delivery processes, with transparency and efficiency, This would enable beneficiaries of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner.

2. It is requested to kindly upload the Gazette Notification on the website of RAV for the assessment of public.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Shiela Tirkey)
Under Secretary to Govt. of India
Ph. No. 011-24651962

Copy with copy of Notification dated 31.7.2017 to:

1. NIC Section, M/o AYUSH with request to upload the notification on the website of Ministry of AYUSH.

2 Dr. Saroj Kr. Adhikari, Dy. Director (DBT), UIDAI, Jeewan Bharti Building Tower-2, 3r Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2127] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2017/श्रावण 10, 1939
No. 2127] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2017/SRAVANA 10, 1939

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

का.आ. 2424(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, को सहायता अनुदान उपलब्ध करा रहा है;

और मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन एजेंसी कहा गया है) को दी गई सहायता अनुदान का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ आरएवी द्वारा पाठ्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रमाणपत्र (सीआरएवी) और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ सदस्य (एमआरएवी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के संचालन हेतु किया जाता है, जिनमें स्कीम के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार शिष्यों और गुरुओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को क्रमश: वृत्तियां और मानदेय (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) दिया जाता है।

और उपर्युक्त स्कीम में पूरे आवर्ती खर्चे भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यष्टि से यह अपेक्षा है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे किसी व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उससे यह अपेक्षा है कि वह 31.08.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करे परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंध के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार हेतु नामांकित होने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध है] का दौरा करेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां क्रमश: ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है वहां मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी:

परंतु ऐसे व्यष्टि को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदा दिए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पर्ची; या

(ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) मतदाता पहचान पत्र; या (ii) स्थाई खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट, या (iv) राशन कार्ड; या (v) कर्मचारी का सरकारी पहचान पत्र; या (vi) फोटो लगी बैंक या डाकखाने की पास बुक; या (vii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (viii) ईसीएचएस कार्ड; या ईएसआईसी कार्ड; या सीजीएचएस कार्ड; या (ix) मोटर यान अधिनियम, 1998 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति; या (x) सरकारी पत्र शीर्ष पर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र जिस पर उस व्यक्ति का फोटो लगा हो; या (xi) मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेज मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे:

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित उपायों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन आधार नंबर की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यष्टिक सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31.08.2017 तक या उससे पूर्व अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही इस स्कीम के अधीन नामांकन न करा पाए हों तो मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध मंत्रालय अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिहित अधिकारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से नामांकन कराएंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा. सं. वी.26011/2/2017-एनआई]

पी. एन. रण्जीत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

S.O. 2424(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of AYUSH (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is providing GIA to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth which is an autonomous body under the Ministry;

And whereas, the Grant-in-Aid given by the Ministry to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (hereinafter referred to as the Implementing Agency) is, inter-alia, used towards running of the courses viz., Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth(CARV) and Member of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (MRAV) by the RAV (hereinafter referred to as the Scheme) , wherein stipends and honoraria (hereinafter referred to as the benefits) are given to the Shishyas and Gurus respectively (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves full recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An Individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for

Aadhaar enrollment by 31.08.2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provision of section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming the UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 ; and

(b) (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank Passbook or Post Office Passbook with Photo (vii) MGNREGS card; or (viii) ECHS Card; or ESIC Card; or CGHS Card; or (ix) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (xi) any other document as specified by the Ministry:

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose:

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the Scheme, and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres by 31.08.2017 or before in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as

specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. V.26011/2/2017 – NI]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.02 20:15:39 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.